भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
विकास आयुक्त का कार्यालय
Office of the Developement Commissioner
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.
Andheri (East), Mumbai - 400 096.

सत्यमेव जयते

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/न्यूसेज़/331/2011-12/ दिनांकः 06.7.2017

सार्वजनिक सूचना संख्या 39 / 2017

यह देखने में आ रहा है कि विकास आयुक्त, सीप्ज़ - सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विभिन्न सेज़ों द्वारा सेज़ नियम, 2006 के नियम 51 (7) के तहत लैपटॉपों के अस्थायी रूप से हटाए जाने के संबंध में अनुमति देते समय भिन्न - भिन्न पद्धतियां अपनाई जा रही हैं:-

2. इस मामले की विस्तार से जांच किए जाने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि नियम 51 (7) के तहत यूनिटों द्वारा लैपटॉपों के अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अनुपालन किया जाएः-

क) सेज़ यूनिट अपने प्राधिकृत कर्मचारियों के प्रयोग के लिए ही अस्थायी आधार पर सेज़ के बाहर लैपटॉप ले जा सकेंगे ।

ख) यूनिटों को अस्थायी रूप से ले जाए गए लैपटॉपों का लेखा - जोखा रखना होगा ।

ग) यूनिट को अस्थायी तौर पर प्रोसेसिंग क्षेत्र से लैपटॉप बाहर ले जाने के लिए अपने कर्मचारियों को प्राधिकृत करते हुए प्रमाणपत्र जारी करना होगा । इस प्रमाणपत्र में कर्मचारी का नाम, लैपटॉप की पूर्ण विशिष्टियां (नाम, मेक, एसएन, मॉडल नं. आदि) का अवश्य उल्लेख करना होगा ।

घ) यूनिट फॉर्म टाइप **"कस्टम्स"** आवेदन कोटि **"अन्य"** के जरिए सेज़ ऑनलाइन सिस्टम में ऐसे प्रमाणपत्र संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा इसके पश्चात वे फ्री टैक्स्ट बॉक्स में वे कॉपी कर सकते हैं / विनिर्दिष्ट अधिकारी को संबोधित पत्र / प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं । यदि कर्मचारियों की सूची लंबी हो, तो वे इसे एक्सल में अपलोड कर सकते हैं अथवा पीडीएफ फाइल के रूप में एटैच कर सकते हैं । संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी आवेदन अथवा प्रमाणपत्र का प्रिंटआउट निकालेंगे तथा कार्यालय में सेज़वार रखे जाने वाले फाइल में इसे रखेंगे ।

....पृष्ठ 2 पर जारी

ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in
वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in
फैक्स : 28291385 / 28291754
Fax : 28291385 / 28291754

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग

ङ) यदि सेज़ ऑनलाइन के जरिए इनके प्रस्तुत किए जाने में कोई कठिनाई हो, तो ऐसे प्रमाणपत्र संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएं तथा यूनिट द्वारा पावती के रूप में इनकी हार्डकापी रखी जाए । यूनिट द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रमाणपत्र सेज़वार रखे जाएं ।

च) प्रोसेसिंग क्षेत्र के बाहर लैपटॉप लेकर जाने वाले कर्मचारी यूनिट द्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत पावती की प्रतिलिपि अपने साथ अवश्य रखें ।

छ) प्रत्येक लैपटॉप / कर्मचारी के लिए अलग प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है ।

3. सभी संबंधितों द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए तथा यदि ऐसा करने में कोई कठिनाई हो, तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जाए ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़ - सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(प्रवीण चंद्र)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः-

1. सभी आइटी विकासक / यूनिट - सीप्ज़ - सेज़, मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले ।
2. सभी आइटी विकासक / यूनिट - सीप्ज़ - सेज़, पुणे क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले ।
3. सूचना पट्ट
4. सीप्ज़ - सेज़ वेबसाइट